*IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*
*Volume 21, Issue 11, Ver. 1 (November. 2016) PP 78-82*
*e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.*
*www.iosrjournals.org*

# भारत–पाक सम्बन्ध में कश्मीर समस्या एक तनाव स्रोत के रूप में

डॉ. हनुमान सहाय मण्डावरिया

*व्याख्याता राजनीति विज्ञान राजकीय कला महाविद्यालय जिला दौसा, राज्य राजस्थान, (भारत)*

द्वितीय युद्ध के बाद यह स्पष्ट होने लगा था, कि अंग्रेज भारत छोड़ेगे तब उन्होंने यह घोषणा कर दी थी, कि देशी रियासत भारत या पाकिस्तान में मिल सकती है, लेकिन इस निर्णय में भौगोलिक समीपता की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। देशी रियासतों को यह सुझाव भी दिये गये थे, कि यदि रियासतें चाहें तो अपने स्वतन्त्र अस्तित्वको बनाए रख सकती है। कश्मीर भारत और पाकिस्तान की तरह 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हुई इसी दिन महाराजा हरिसिंह ने स्वतन्त्र रहने की नीति की घोषणा करते हुए यह स्पष्ट किया कि, वह अपनी रियासत को न तो भारतीय संघ में सम्मिलित करेंगे और न ही पाकिस्तानी राज्य में। लेकिन स्वतन्त्रता से पूर्व जब विभाजन के विषय पर चर्चा करने के लिए जून 1947, में भारतीय गवर्नर जनरल लार्ड माउण्टबेटन कश्मीर आए तब उन्होंने महाराजा को यह समझाने का प्रयास किया कि, वह अपनी रियासत को भारत या पाकिस्तान में मिला दें। माउण्टबेटन ने महाराजा को यहां तक आष्वासन दिया कि यदि उसने अपनी रियासत को पाकिस्तान में भी मिला दिया, तो भी भारत के नेता बुरा नहीं मानेंगे। इस बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूर्ण आष्वासन प्राप्त होने की बात भी कही गई। लार्ड माउण्टबेटन ने महाराजा हरिसिंह से आगे कहा – क्योंकि उसकी रियासत की बहुसंख्या मुसलमानों की है, इसलिए उनकी इच्छा की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। लेकिन लार्ड माउण्टबेटन की सलाह की उपेक्षा करते हुए कश्मीर महाराजा ने 15 अगस्त, 1947 तक किसी भी इकाई में विलय की घोषणा नहीं की। कठिनाई यह थी, कि यदि वह अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिला देता तो जम्मू और लद्दाख की गैर मुस्लिम जनता उसके इस कदम से रूष्ट हो जाती यदि वह भारत में अपनी रियासत को मिला देता तो गिलगित और पाकिस्तानी सीमा से लगने वाले प्रदेशों की मुस्लिम बहुल जनता असहमत हो जाती। एक अन्य विवशता भी थी। रियासत सड़क यातायात की दृष्टि से भारत की तुलना में पाकिस्तान के साथ सहजता से जुड़ी हुई थी। भारत में मिलने पर पाकिस्तान रसद रोक देता, लेकिन महाराजा यह जानते थे, कि यदि उसने अपनी रियासत को पाकिस्तान के साथ मिला दिया तो पाकिस्तानी मुस्लिम लीग शासक उन्हें अधिक समय सहन नहीं करेंगे और उन्हें किसी भी समय गद्दी से उतार देंगे। इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए कश्मीर महाराजा ने अपनी रियासत को पाकिस्तान और भारत दोनों से अलग रखते हुए स्वतन्त्र रहने का निर्णय लिया। इस बीच पाकिस्तान से यथास्थिति बनाए रखने का समझौता कर लिया।

**पाकिस्तानी कबायलियों का कश्मीर पर आक्रमण**

15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, जूनागढ़ कश्मीर रियासतों ने हिन्दुस्तान या पाकिस्तान में विलय का फैसला कर लिया था। तीन में से प्रथम एक एवं दो के शासक मुस्लिम बहुसंख्यक जनता हिन्दू थी। जिनके आंतरिक विद्रोह के कारण इन रियासतों के भारत में विलय की भूमिका बनी थी। कश्मीर में अधिसंख्य जनता मुस्लिम एवं शासक हिन्दू था। परन्तु पाकिस्तान को मुस्लिम बहुमत से भी कोई आशा नहीं थी, क्योंकि उसका नेतृत्व शेख अब्दुल्ला के हाथ में था, जो धर्मनिरपेक्ष नीति के समर्थक थे, एवं साम्प्रदायिक राष्ट्रीयता को नहीं मानते थे।

पाकिस्तान को अफसोस था, कि ब्रिटिश प्रांतों के साथ ही रियासतों के बंटवारे में भी उसका हिस्सा कम है तथा सीधे तौर पर कश्मीर भी नहीं मिलेगा। अतः पाकिस्तानी प्रशासन ने सीमा प्रांत के कबाइलियों में यह भावना भड़का दी कि महाराजा कश्मीर के मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे है, अतः धर्म की रक्षा के नाम पर कबाइलियों ने पाकिस्तान की सहायता से 22 अक्टूबर 1947, को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उत्तरी–पश्चिमी सीमा प्रान्त के लगभग पाँच हजार कबायली पाकिस्तान की ओर से झेलम घाटी के साथ–साथ कश्मीर की ओर बढ़े। रास्ते के कस्बों व गाँवों पर कब्जा करते हुए और मुजफ्फराबाद पहुँच गये। यहां पर लेफ्टिनेण्ट कर्नल नारायण सिंह के नेतृत्व में कश्मीर घाटी सैन्य में सेना की एक बटालियन तैनात की। जिसमें डोगरे राजपूत और मुसलमान दोनों शामिल थे। भारत सरकार के राज मन्त्रालय के तत्कालीन सचिव श्री की.पी. मेनन के अनुसार सैनिकों ने बटालियन का साथ छोड़ दिया और वे आक्रमणकारियों में मिल गये। उन्होंने कर्नल नारायण सिंह तथा उनके सहायक सैनिक अधिकारी पर गोली चलाई और आक्रमणकारियों की अग्रिम सैनिक टुकड़ी के रूप में कार्य करने लगे। इसके बाद आक्रमणकारी बारामूला की ओर बढ़े, जहां से सीधी सडक़ कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की ओर जाती थी। उस समय तककश्मीर रियासत की सेना में जो भी मुसलमान थे, वे सब सेना को छोडक़र आक्रमणकारियों के साथ मिल गये थे। अधिकांश हिन्दू अधिकारी एवं सैनिककश्मीर की रक्षा में असमर्थ रहे। सेनाध्यक्ष ब्रिगेडियर सहित कई साथी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गये।

आक्रमणकारियों का विजयी अभियान पूर्णतया जारी रहा और 24 अक्टूबर 1947, को उन्होंने महूरा बिजलीघर पर कब्जा कर लिया, जिससे श्रीनगर को बिजली आपूर्ति होती थी। अस्तित्वका संकट निकट जानकर महाराजा ने भारत सरकार से रक्षा की याचना के साथ ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए,

**भारतीय प्रत्युत्तरः सैनिककार्यवाही**

एक ओर भारत में कश्मीर के विलय की गतिविधियाँ तेजी से चल रही थी, दूसरी ओर आक्रमणकारी बड़ी तेजी से श्रीनगर पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। श्रीनगर से 18 मील दूर बारामूला तकवे पहुंच गए एवं उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। कश्मीरी सेना और तीन सिक्ख फौजी टुकडियाँ पीछे हटती जा रही थी। तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता समझते हुए भारतीय सरकार ने भारतीय सेना और रायल इण्डियन एयर फोर्स के जकानों को तुरन्त वायुयान से श्रीनगर पहुँचाया। उस समय श्रीनगर का शेष भारत से थल सम्पर्क पूर्णतया कट चुका था।

भारतीय सेना ने कश्मीर में उतरते ही तीक्र आक्रमण कर, कबाईलियों को भारी हानि पहुंचाई एवं उन्हें पीछे खदेडना शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने 3 नवम्बर को श्रीनगर से 14 मील दूर पटना और बडगाँवके गाँव पर अपना पूरा अधिकार कर लिया। भारतीय सेना ने अपनी पूरी तैयारियों के साथ 7 नवम्बर को बारामूला रोड़ पर आक्रमण कर, हजारों कबाईलियों को मौत के घाट उतार दिया। जब पाकिस्तान के गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना ने यह सुना कि, भारत ने कश्मीर के अधिमिलन को स्वीकार कर लिया हैं और कश्मीर में सेना भेज दी है, तो वह क्रोध से तिलमिला उठे और उन्होंने अपने फौजी जनरल ग्रेसी को आदेश दिया किकश्मीर में पाकिस्तानी सेना भेज दी जाए। जनरल ग्रेसी ने भारत और पाकिस्तान के सर्वोच्च सेनापति जनरल अचिनलेककी अनुमति के बिना ऐसा करने से इन्कार कर दिया। अतः नवम्बर को दोनों राष्ट्रों के महत्वपूर्ण सदस्यों के बीच एक सम्मेलन लाहौर में रखा गया। इस सम्मेलन में पंडित नेहरू बीमारी के कारण उपस्थित नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना इसलिए उपस्थित नहीं हुए किलार्ड माउण्टबेटन अनुपस्थित थे अतः भारत और पाकिस्तान के सर्वोच्च सेनापति जनरल ने उत्पन्न परिस्थितियों पर विभिन्न अधिकारियों के साथ बातचीत की एवं कश्मीर की सुरक्षा एवं शांति सम्बन्धी कुछ उपाय दोनों ही पक्षों के समक्ष रखें।

महाराजा हरीसिंह ने इस बीच शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर, भारतीय सरकार को इस कार्य से अवगत करा दिया। 31 अक्टूबर 1947 को श्री महाजन के स्थान पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को नये प्रधानमंत्री की शपथ दिलाकर एक नई सरकार की स्थापना की गई। इधर आक्रमणकारियों ने अपने अधीन कश्मीरी क्षेत्र को आजाद कश्मीर का नाम देकर सरदार मोहम्मद इब्राहिम के नेतृत्व में 3 नवम्बर, 1947 को एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी।

पाकिस्तान प्रधानमंत्री लियाकत अली खाँ ने धमकी भरे स्वरों के साथ यह घोषणा की कि, हमारा कश्मीर के आक्रमण में कोई हाथ नहीं है और यह केवल कुछ कबाइलियों का आक्रमण है। हम आक्रमणकारियों को पाकिस्तान की भूमि से गुजरते हुए नहीं रोक सकते। इसलिए उस आक्रमण को बचाने का केवल यही एक मार्ग है कि पाकिस्तानी सेना को कश्मीर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। लेकिन भारत सरकार ने पाकिस्तान की इस धमकी की तनिक भी परवाह नहीं की। बल्कि पंडित नेहरू ने अपने एक रेडियों प्रसारण में कश्मीर में भारतीय सैनिककार्यवाही के औचित्य को सिद्ध करते हुए कहा कि–

''कश्मीर के बारे में निर्णय पूर्णतया विचार करके और समस्त संभावित परिणामों को आँकने के बाद लिया गया था। यदि हम सैनिककार्यकाही न करते तो कश्मीर रियासत को आक्रमणकारी लूट ले जाते, 8वहाँ पर आग लगाते, स्त्रियों के साथ बलात्कार करते। इस घटना को न रोकना एक तरह से तलवार की शक्ति के सामने झुकने वाली बात होती। पंडित नेहरू ने इस बात पर बल दिया किकश्मीर का संघर्ष एक लोकप्रिय नेतृत्वके अधीन किया जा रहा है और यह संघर्ष कश्मीरी जनता का आक्रमणकारियों के विरूद्ध अपनी स्कतन्त्रता के लिए संघर्ष है। जब कश्मीर में कानून एवं व्यवस्था स्थापित हो जायेगी तब संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के तत्वाधान में जनमत संग्रह करवा दिया जायेगा। पंडित नेहरू के इस भाषण की प्रतिक्रियास्वरूप पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खाँ दो दिन बाद अर्थात् 4 नकम्बर, 1947 को अपने एक रेडियो प्रसारण में तथ्यों को तोड़ते हुए यह कहा किकश्मीर पर महाराजा का अधिकार 1846 ई. की दुरभि संधि के परिणामस्वरूप है। कश्मीर में जो कुछ हुआ वह पराधीन जनता का अपने निरंकुश शासकके विरूद्ध बाहरी संसार को इसे कबाइलियों का आक्रमण दिखाना इतिहास को गलत लिखना होगा, क्योंकिकुछ बाहर के लोगों ने कश्मीर के मामले में अपनी सहानुभूति दिखाई है। भारत सरकार और उसके सहयोगी कश्मीर को बचाने का यत्न नहीं कर रहे हैं, अपितु एक गिरते हुए निरंकुश शासकको बचाने का प्रयत्न कर रहें हैं। कश्मीर का भारत में अधिमिलन एक प्रकार का बड़ा छलावा है, जो किवहां के कायर शासक ने भारत सरकार की आक्रमक नीति की सहायता से किया है।''

भारत ने पाकिस्तान के इन झूठे आरोपों की परवाह न करते हुए कश्मीर में भारतीय रायल फोर्स के मेजर जनरल कुलन्त सिंह को आदेश दिया किकह बारामूला पर पुनरू अपना अधिकार कर, आक्रमणकारियों को निकाल बाहर करें। भीषण संघर्ष के बाद भारतीय सेना ने 8 नवम्बर, 1947 को बारामूला पर पुनः अपना कब्जा किया और 14 नवम्बर, 1947 को उन्ही पर अपना अधिकार किया। उन्ही पर जब आक्रमण किया गया तो आतंकित होकर पाककबायली अपना

सैनिक साज–सामान छोडक़र भाग खड़े हुए। अब भारतीय सेना कश्मीर के उस भाग को स्वतन्त्र कराने के लिए आगे बढ़ी, जिसे आक्रमणकारियों ने अपने अधीन कर आजाद कश्मीर के नाम से सरकार स्थापित कर रखी थी। भारतीय सेना ने पुंछ केकोटली को स्वतन्त्र करवा लिया। कोटली पर भारतीय आधिपत्य से पाकिस्तानी सेना को काश्मीर में पहुंचने वाली कुमकका मार्ग बन्द हो गया, जो कि भारतीय सेना की सबसे बड़ी उपलिब्ध थी। भारतीय सेना की इस सफलता के दौरान पंडित नेहरू ने 25 नकम्बर, 1947 को भारतीय संसद में अपने एकवक्तव्य में कहा कि भारत का उद्देश्य कश्मीर को उसकी इच्छा के विरूद्ध भारतीय संघ में सम्मिलित करना कभी नहीं रहा हैं। जैसे ही कश्मीर को आक्रमणकारियों से मुक्त करवा दिया जायेगा वैसे ही कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी किसी निष्पक्ष न्यायाधिकरण के तत्वाधान में उन्हें अपना भविष्य निर्धारित करने का अवसर प्रदान कर दिया जायेगा।

**काश्मीर विवाद को हल करने के असफल प्रयास**

दिसम्बर 1947 इन्ही विरोधाभासी राष्ट्रीयतापरक विचारधाराओं तथा युद्ध विराम के बीच के प्रथम सप्ताह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खाँ दिल्ली में संयुक्त प्रतिरक्षा परिषद् की बैठक में भाग लेने जब नई दिल्ली आये तब पंडित नेहरू ने लियाकत अली खाँ से कश्मीर के सम्बन्ध में भी वार्ता की। इस वार्ता का मुख्य तथ्य यह था कि पाकिस्तान पहले अपने आक्रमणकारी कबायलियों को कश्मीर से हटा लें, उसके उपरान्त भारत सरकार अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए थोड़ी सेनाओं को छोड़कर शेष सेना हटा लेगी और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में जनमत संग्रह करवाया जायेगा। लेकिन दोनों प्रधानमंत्रियों की इस बैठकका कोई रचनात्मक परिणाम सामने नहीं आया। इसके बाद पंडित नेहरू 8 दिसम्बर 1947 को प्रतिरक्षा परिषद् की बैठक में भाग लेने लाहौर पहुँचे। उन्होंने लार्ड माउण्टबेटन की अध्यक्षता में दोपहर से अद्र्धरात्रि तककश्मीर समस्या के सम्बन्ध में गम्भीर विचार–विमर्श किया, किन्तु इस बैठकका भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला।

कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि उनमें कभी कोई परिकर्वन नहीं होता। शायद इन्हीं रिश्तों को दर्द के रिश्ते का नाम दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य भी कुछ इसी प्रकार के रिश्ते हैं। पाकिस्तान की स्थापना से लेकर आज तक के सभी शासकों ने बार–बार यही कहा है कि वह भारत के साथ–साथ सामान्य संबंधों की स्थापना करना चाहते हैं लेकिन उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। पाकिस्तान का जन्म हिंसा और घृणा के वातावरण में हुआ था। घुट्टी में जो चीज पिलाई जाती है उसका असर कभी समाप्त नहीं होता, पाकिस्तान के शासक बदलते रहे हैं, किन्तु भारत के प्रति उसकी घृणा और शत्रुता की बुनियादी नीति में कोई अंतर नहीं आया है। हाँ इतना अवश्य है कि इतिहास के किसी दौर में इनकी मात्राा अवश्य बढ़ जाती है और कभी उनमें कमी आ जाती है।

विभाजन की योजना ने भारत को जितनी हानि पहुंचाई है उतनी दूसरी कम चीजों ने पहुँचाई होगी। भारत की जमीन पर ब्रिटिश साम्राज्य का यह आखिरी और सबसे शर्मनाक काम था। पाकिस्तान निर्माण के लिए असली दोषी एवं अपराधी किसे कहा जाए? यह प्रश्न दोनों देशों के संबंधों को समझने के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। डा. लोहिया ने मौलाना आजाद की पुस्तक इण्डिया विंस फ्रीडम की समीक्षा करते हुए कुछ महत्त्वपूर्ण तत्वों पर प्रकाश डाला है, जिनमें ब्रिटिश कपट, कांग्रेस नेतृत्व की बढ़ती उम्र हिन्दू मुस्लिम दंगों की तत्कालीन स्थिति, जनता में साहस और शक्ति अभाक गांधी जी की अहिंसा, मुस्लिम लीग की पार्थक्यवादिता और हिन्दू अहंकार उल्लेखनीय है।

श्री जुल्पिफकार अली भुट्टो के शब्दों में–

> मुसलमानों ने इस भाग पर पूरे सात सौ वर्ष राज्य किया है और अंत में वे अपना अलग घर बसाने में सफल हुए दुर्भाग्य से हिन्दू मानस पर इस ऐतिहासिक काम्पलेक्स ओर अपनी हार से बैचेन है। भारत–पाक संबंधों का विवेचन करते समय भारतीय राष्ट्रवाद की प्रकृति को समझना आवश्यक होगा।

भारत माता की परिकल्पना को स्पष्ट करते हुए भुट्टो ने कहा है कि–

मुसलमानों द्वारा स्थापित पाकिस्तान हिन्दू राष्ट्रवाद को चुनौती है। पाकिस्तान भारत माता के लिए क्रूरतम विद्रोह है जिसे हिन्दू तानाशाही कोसती है। भारतीय नेताओं ने पाकिस्तान की हस्ती को इसलिए स्वीकारा कि उनके लिए कोई चारा नहीं था। भारत विभाजन अंग्रेजों के सत्ता हस्तान्तरण की कीमत थी, जिसके बिना छुटकारा नहीं था गांधी, नेहरू और पटेल ने भी दो राष्ट्रों के सिद्धांतों को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यह कड़वा घूट इस आशा में पिया कि पाकिस्तान लड़खड़ाकर अन्ततः ढह जायेगा। उनकी दृष्टि में पाकिस्तान हिन्दुस्तान का सर्वोपरि शत्रु है। श्री नेहरू और उसके उत्तराधिकारियों की कूटनीति प्रारम्भ से ही यह रही है ताकि ज्यों ही भारत शक्तिशाली हो तो शीघ्रातिशीघ्र इसे निगल सके।

अनादिकाल से अखण्ड भारत के विचारधरा के समर्थकों की यह इच्छा रही है कि इस भूखण्ड की राजनीतिक, सांस्कृतिक एकं आर्थिक एकता हिंदूकुश से मकाग तक फैली हुई है। भारतीय इतिहास के हर युग में इसी विचाराधरा को बढ़ावा एवं बल मिला है और यही विचार आधुनिक भारत में पूर्णतया समाहित है। इसकी पूर्ति में चाहे भारत को हजारों वर्ष लग जाएं किन्तु उसकी यह महत्वकांक्षा मरेगी नहीं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहला कदम पाकिस्तान को संसार से अलग थलग करना है। अन्ततोगत्वा अखण्ड भारत की यह अधर्मिक माँग पाकिस्तान की बलि चाहती है।

पाकिस्तान के तत्कालीन प्रथम प्रधनमंत्री लियाकत अली खां का भी यह विचार था कि–

हमारी मुख्य समस्या यह है कि भारत पाकिस्तान को एक सार्वभौमिक राष्ट्रभाव से निरन्तर इंकार करता रहा है। वह इस नीति को आत्मसात नहीं कर पाया है। भारत के इस दृष्टिकोण को पुरानी परम्परावादी भाषा मेथोलोजिकल टर्म में ही प्रतिपादित किया जा सकता है। भारतीय नेतागण मुसलमानों के प्रति गहरी घृणा रखते हैं और वे अपनी इस तनावपूर्ण भावना के शिकार है।

कहने का तात्पर्य यह है कि अखण्ड भारत की इस अधूरी अभिलाषा में निहित पाकिस्तान की आहूति का भान सभी पाकिस्तानी शासकों में विद्यमान रहा है कल से आज तक।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है तब से वहां के शासकों ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए या सत्ता पाने के लिए भारत की खिलाफत और उसके खिलाफ नफरत उत्पन्न करके उसका होवा खड़ा करने का प्रयत्न किया जिससे दोनों देशों के बीच गलतफमियों एवं शंकाओं के बादल हमेशा छाए रहे। जब भी यह बादल हटते नजर आते हैं कोई न कोई शासक भारत का होवा खड़ा कर देता है। नेतागिरी के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलना सबसे सस्ता और आसान राजनीतिक हथियार बन गया है। कई शासक यह महसूस करते जा रहे है कि यदि भारत के साथ मित्रता की जाए तो शायद उनकी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी यह मानसिक स्थिति वहां के अधिकांश राजनीतिक नेताओं और कट्टरपंथियों की है। वे कोई दूसरा विचार सहन करने के पक्ष में नहीं है। वे हमेशा यही होवा खड़ा करना चाहते हैं उसने पाकिस्तान के अस्तित्व को अभी तक स्वीकार नहीं किया है।

पण्डित नेहरू ने ठीक ही कहा है कि पाकिस्तान ने मुस्लिम जनसंख्या के बहुमत के आधार पर कश्मीर को अपना अंग माना है, किन्तु उल्लेखनीय है कि मुस्लिम जनसंख्या के बहुमत का तर्क भारत पर लागू करना सही नहीं है, क्योंकि हमने भारत का किभाजन हिन्दू–मुस्लिम या अन्य धर्म के आधार पर स्वीकार नहीं किया। अगर हम ऐसा करते तो इसका क्या अंजाम होता। विभाजन के बाद भी हमारे यहाँ 4 करोड़ से अधिक मुसलमान सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर रहे हैं, जिन्हें हम पाकिस्तानी नहीं मानकर भारत के नागरिक मानते हैं।

उल्लेखनीय है कि आज भारत के मुसलमानों की जनसंख्या 15 करोड़ है जो पाकिस्तान की कुल आबादी से कहीं अधिक हैं यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अयोध्या में रामजन्म भूमि पर मंदिर के शिलान्यास को लेकर भी पाकिस्तान नेतृत्व ने भारत के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप किया था। क्या पाकिस्तान के लिए ऐसे मामलों में भारत को सलाह देने के स्थान पर खुद अपने घर में आँकना बेहतर नहीं? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास इस बात का जवाब है कि उन देशों में जो सैकड़ों मन्दिर थे, वे कहाँ गए? उनके स्थानों पर अन्य धर्मिक स्थल या भवन क्यों बनवाए गए?

स्मरण रखने योग्य है कि कश्मीर के मामले पर भारत ने हस्तक्षेप वहाँ के महाराजा हरीसिंह के आग्रह पर किया था। यदि अन्य रियासतों की भाँति स्वेच्छा से कश्मीर भारत अथवा पाक किसी के साथ विलय का निर्णय ले लेता, तो यह खेल उसी समय समाप्त हो गया होता और यह भी सत्य है कि कश्मीर का भारत में विलीनीकरण का निर्णय पाकिस्तानी सैन्य के नेतृत्वमें कबालियों की आक्रमण की कार्यवाही का परिणाम था। आक्रमण की स्थिति में भयग्रस्त महाराजा हरीसिंह ने बहुत ही अधीर होकर मेनन से कहा–

आप रियासत ले लीजिए, परंतु सेना भेजिए। अतः कश्मीर को भारत द्वारा हथियाने का पाकिस्तानी आरोप पूर्णतः असंगत लगता है। हाँ यह बात अवश्य है, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होगी कि भारत के तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल कश्मीर को भारत में मिलाने के विरोधी थे। उनका यह स्पष्ट मत था कि मुसलमानों के बहुमत को देखते हुए उनका पाकिस्तान में विलीनीकरण स्वाभाविक है। महाराजा के निवेदन पर श्री नेहरू ने जब कश्मीर के विलय का प्रश्न विचारार्थ रखा तो श्री पटेल ने इस मामले में उलझने के विरोध में राय दी थी। उनका कहना था कि वैसे ही हम बहुत दलदल में फँस चुके हैं। अब हमें दूसरे झमेले में नहीं पड़ना चाहिए।

श्री पटेल का यह निर्णय राजनीतिक अड़चनों से दूर रहने को ध्यान में रखकर किया गया था। किन्तु बिगड़ते हुए हालत को देखते हुए यह आवश्यक हो गया कि कश्मीर की रक्षा को भारत अपना नैतिक कर्त्तव्य मानकर निभाए। भारत के इस निर्णय को महात्मा गांधी ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में लार्ड माउण्ट बेटन को कहा कि–

''कश्मीर की रक्षा के लिए यदि भारत की सारी सेना कुर्बान हो जाए तो मेरी आँख से एक भी आंसू नहीं टपकेगा, क्योंकि भारत सरकार का यह कार्य मार्ग पर है।

**की.के. मेनन के अनुसार**

वास्तव में कश्मीर की समस्या आक्रांत और आक्रांता की समस्या है और उसका सीधा संबंध आक्रमण के अपराध से है। यह भूमिका का विवाद नहीं है। हम किसी पर दोषारोपण नहीं करने की अपेक्षा आक्रमण की भूल का समाधान

चाहते हैं। भारत एक धर्म निरक्षेप राज्य है जिसमें अन्यान्य धर्मों के साथ इस्लाम भी एक धर्म है। एक राज्य में बहुसंख्यक जनता मुस्लिम है और इसके आधार पर पाकिस्तान कश्मीर पर दावा नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान से भी मुसलमानों की संख्या अधिक है।

यह ध्यान रखने योग्य है कि यदि कश्मीर पाकिस्तान के लिए जीवन मरण का प्रश्न है तो भारत के लिए भी यह सम्मान और सिद्धांत का प्रश्न है।

हिमालय के उत्तरी पश्चिम में लगभग दो लाख बाइस हजार वर्ग किलोमीटर में जम्मू–कश्मीर व्यापकता लिए हुए है। अभी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी घाटी में बसा हुआ श्रीनगर बिल्कुल यों दिखता है जैसे कटोरी प्रदेश का 90 प्रतिशत भाग पहाड़ी है चीड़, चिनार, देवदार के घने जंगलों से भरपूर इन्हीं के बीच पथरीले मार्गों में मचलती उफनती झेलम, चिनाव और तवी बहती है। आप कल्पना कीजिए कि केसर के खेतों के बीच पगडंडियों पर झरना और बगीचों में झूमती लदी सेवों की टहनियाँ क्या पड़ोसी देश की छाती पर साँप लौटने के लिए काफी नहीं है? भारत के कोने–कोने का नहीं बल्कि दुनिया का आदमी कश्मीर का नाम सुनकर यहां की खूबसूरती को अपने दिल में अपनी मासूम प्रेमिका की भांति स्मृतियों के आइने में कैद कर लेना चाहता है। ऐसी मासूम प्रमिका को जिसका किसी से नजदीकी दर्द का रिश्ता है भला वह कैसे इसे छोड़ सकता है।

उल्लेखनीय है कि कश्मीर के 2 लाख 22 हजार वर्ग किलोमीटर में से लगभग 89 हजार वर्ग किलोमीटर पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा है और उसका यह दावा है कि यह उनका 'आजाद कश्मीर' है यद्यपि दुनिया की किसी शब्दावली में 'आजाद कश्मीर' का उल्लेख नहीं है, किन्तु पाकिस्तान इस इलाके पर अपना शासन कायम करना चाहता है। बिल्कुल उसपर लगभग 43000 हजार वर्ग किलोमीटर हिस्सा आज चीन के अधिकार क्षेत्रा में है। चीन का भी दावा है कि यह क्षेत्रा उसका अपना है। पाक कश्मीर को हथियाने की अपनी योजना के तहत उसने 1963 में चीन से एक सीमा समझौता करके पाक ने चीन को 4,000 वर्ग किलोमीटर कर कश्मीर का वह क्षेत्र दे दिया जिस पर पाकिस्तान का कभी कब्जा था ही नहीं। बदले में उसने चीन से उसका 12,000 कर्ग किलोमीटर का इलाका ले लिया।

## सुझाव पुस्तकें


1. कलीम बहादुर, **इण्डिया एण्ड पाकिस्तान**, इन्टरनेशनल स्टडीज, न्यू देहली, जुलाई–सितम्बर 1978.
2. जी. डब्ल्यू चौधरी, **पाकिस्तान इण्डिया रिलेशन्स**, **पाकिस्तान होरीजन**, कराची, 1जून, 1958.
3. हैकर्ड, डी. जोन्सः **पाकिस्तान : दि बर्थ ऑफ ए न्यू मुस्लिम स्टेट**, काहिराः 1952.
4. कुतुबद्दीन अजीज, **इण्डिया एण्ड पाकिस्तान सेट पफोर ट्रेड रिजम्पसन**, **क्रिश्चियन साइंस मोनीटर** बोस्टन 12 फरकरी 1975.
5. मधु लिमये, **इण्डिया एण्ड पाकिस्तान : सम कोमन प्रोब्लम**, मेनस्ट्रीम, 20 ;22, 26 जनवरी 1982.
6. मुकुट बिहारी लाल, **दि काश्मीर इश्यु**, इण्डिया क्वार्टरली, ;देहली 29 अक्टूबर–दिसम्बर 1965.